

26

07
24

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

वकील पक्षकार अथ वकील वकील वकील

उपस्थित। वकील वकील वकील वकील वकील
जाहिर किया कि राजीनामा होने के कारण
दावा फांगे नहीं चलाना चाहते। फल
दावा खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)
26-7-20

वकील वकील वकील वकील वकील
गया। इनके निवेदन पर यह दावा इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
निजीय से मुद्रा की जाकर लम्बर से कर
हो तथा तर्तीव तकमिल होकर दाखिल
करते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)